



Neutral Citation No. - 2026:AHC:15420

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 1693/2026

नंदलाल एवं 2 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 20 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता: मनोज यादव

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता: सी.एस.सी., रामेश्वर प्रसाद शुक्ला

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रामेश्वर प्रसाद शुक्ला को सुना।
2. आज पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश के आलोक में, निजी-प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है।
3. वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा एकमात्र प्रार्थना यह की गई है कि प्रतिवादी संख्या 2 - अपर आयुक्त, (प्रशासन), आजमगढ़ मंडल, आजमगढ़ को निर्देश दिया जाए कि वे उ.प्र.ज़मींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 333 के तहत निगरानी संख्या 201/बो/2019, कंप्यूटरीकृत वाद संख्या सी201915000001035 (नंदलाल एवं अन्य बनाम श्रीनाथ एवं अन्य) को निर्धारित अवधि के भीतर निर्णीत करें।
4. यह तर्क दिया गया है कि काफी समय बीत चुका है लेकिन आज तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, अतः वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है।
5. उपस्थित पक्षों के अधिवक्ता को सुना तथा मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।
6. पक्षों के अधिवक्ता की सहमति से, वर्तमान रिट याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित करते हुए प्रतिवादी संख्या 2 - अपर आयुक्त, (प्रशासन), आजमगढ़ मंडल, आजमगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि वे उपर्युक्त मामले को कड़ाई से कानून के अनुसार, पक्षों को कोई अनावश्यक स्थगन दिए बिना, शीघ्रता से और अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर निर्णीत करें, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो।
7. रजिस्ट्रार (अनुपालन) को निर्देशित किया जाता है कि वे एक सप्ताह के भीतर आयुक्त, आजमगढ़ मंडल, आजमगढ़ के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 2 - अपर आयुक्त, (प्रशासन), आजमगढ़ मंडल, आजमगढ़ को इस आदेश की प्रति प्रेषित करें।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

21 जनवरी, 2026

स्वाति

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"